न्यायालयः— नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी, जिला—कटनी (म.प्र.)
(समक्षः—श्रीमती सुशीला वर्मा)
{निर्णय दिनांकः -31/07/2025}
(*सत्र प्रकरण कमांक*-166/2022)
ST No-166/2022 **Filling No.-ST/9958/2022** **Filling Date- 04-11-2022** **CNR No.-MP2101-012009-2022** **Registration Date-04-11-2022**

अभियोजन—	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—माधवनगर, जिला—कटनी (म.प्र.)
अभियोजन द्वारा—	अपर लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र नागौत्रा
आरोपी—	गिरधारीलाल सेवलानी पिता स्व. परसराम सेवलानी, उम्र—लगभग 50 वर्ष, निवासी—रबर फैक्ट्री रोड, थाना—कोतवाली, जिला—कटनी (म.प्र.)
आरोपी द्वारा—	श्री प्रकाश कुमार भटेजा अधिवक्ता,

मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन, 2022 के नियम—238—क (2) के पालन में प्रकरण को सारणीबद्ध कि गया।

अपराध की तारीख	04.02.22 से 14.02.22 के मध्य
प्र.सू.रि. की तारीख	14.02.2022
अभियोग—पत्र की तारीख	19.10.2022
आरोपों की विरचना की तारीख	22.02.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	29.03.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	21.07.2025
निर्णय की तारीख	31.07.2025
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

— अभियुक्त का विवरण —

अभि— युक्त की श्रेणी	अभि— युक्त का नाम	गिर गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1—	गिरधारी लाल सेवलानी	25.07.22	16.11.22	धारा— 409 एवं 420 भा.दं. स.	दोषमुक्त	निर्णय कण्डिका 25 के अनुसार	कुल 03 माह 21 दिवस

(परिशिष्ट)

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची:—

क. अभियोजन साक्षी:—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा—01	सतलेश कुमार राय	अभियोजन साक्षी
अ.सा—02	अजय प्रताप सिंह	अभियोजन साक्षी
अ.सा—03	मधुर बर्ट	अभियोजन साक्षी
अ.सा—04	सुशील कुमार	अभियोजन साक्षी
अ.सा—05	शेखर श्रीवास्तव	अभियोजन साक्षी
अ.सा—06	सच्चानंद राजपालानी	अभियोजन साक्षी
अ.सा—07	संजय सिंह	अभियोजन साक्षी
अ.सा—08	हीराकुमार भोजवानी	अभियोजन साक्षी
अ.सा—09	गंगाशरण दुबे	अभियोजन साक्षी
अ.सा—10	रमाकांत मिश्रा	अभियोजन साक्षी
अ.सा—11	रविप्रताप पटेल	अभियोजन साक्षी
अ.सा—12	अनूपसिंह	अभियोजन साक्षी

अ.सा—13	रमेश प्रसाद तिवारी	अभियोजन साक्षी
अ.सा—14	नवीन नामदेव	अभियोजन साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	निरंक	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची—

क. अभियोजनः—

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी—01,02,03,19,22/ अ.सा. 01, 02,04,10	जप्ती पत्रक
2.	प्रदर्श पी—04/अ.सा. 03	जिला प्रबंधक कटनी द्वारा थाना प्रभारी माधवनगर को प्रेषित पत्र
3.	प्रदर्श पी—05/अ.सा. 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी—06/अ.सा. 03	जांच प्रतिवेदन
5.	प्रदर्श पी—07,11/अ.सा. 03	पंचनामा
6.	प्रदर्श पी—08/अ.सा. 03	कथन
7.	प्रदर्श पी—09/अ.सा. 03	आरोपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
8.	प्रदर्श पी—10/अ.सा. 03	प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता अनुज्ञप्ति
9.	प्रदर्श पी—12, 13/अ.सा. 03	नोटिस
10.	प्रदर्श पी—14/अ.सा. 03	मिलिंग धान डिलेवरी आर्डर 21—22 की जानकारी
11.	प्रदर्श पी—15/अ.सा. 03	धान की कस्टम मिलिंग अनुबंध

12.	प्रदर्श पी–16/अ.सा. 03	धारा–91 का नोटिस
13.	प्रदर्श पी–17/अ.सा. 03	धान की जानकारी के संबंध में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कटनी को प्रेषित पत्र
14.	प्रदर्श पी–18/अ.सा. 04	आरोपी का मेमोरेण्डम कथन
15.	प्रदर्श पी–20/अ.सा. 04	गिरफतारी पत्रक
16.	प्रदर्श पी–21/अ.सा. 08	पुलिस कथन
17.	प्रदर्श पी–23/अ.सा. 12	नक्शा मौका
18.	प्रदर्श पी–24,25/अ.सा. 12	धान डिलेवरी आर्डर
19.	प्रदर्श पी–26/अ.सा. 14	अनुबंध पत्र
20.	प्रदर्श पी–27/अ.सा. 14	एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. जिला कार्यालय कटनी का प्रतिवेदन
21.	प्रदर्श पी–28/अ.सा.14	मोबाईल एप में मिलर द्वारा फीड की जानकारी
22.	प्रदर्श पी–29 लगायत 48/अ.सा.14	मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज के द्वारा डिलेवरी आर्डर के विरूद्ध जमा किये गये एफ.डी. एवं चेक

ख. प्रतिरक्षाः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएंः—

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	दस्तावेज	नियुक्ति पत्र, डी.ओ. आर्डर, ट्रक चालन नंबर, 10 मूल प्रति में एफ.डी. एवं 10 मूल प्रति में चेक, अनुबंध पत्र, परिवहन एवं स्वीकृति रिपोर्ट, धान रसीदी विवरण,

---

आरक्षी केन्द्र—माधवनगर के अपराध क्र—85/2022 में प्रस्तुत अभियोग—पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान उपरांत प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश, कटनी को उपार्पित होकर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक—17.01.2023 के द्वारा विधि अनुसार निराकरण हेतु अंतरण में प्राप्त।

—:: निर्णय ::—

(आज दिंनाकः—31/07/2025 को घोषित)

1. आरोपी के विरूद्ध धारा—409 एवं 420 भा.द.स. के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि आरोपी ने पुलिस थाना—माधवनगर से 7 कि.मी. से दक्षिण मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज में वरूण इंडस्ट्रीज जो कि राईस मिल फर्म है, के प्रोपाईटर के रूप में मिलिंग हेतु म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के खरीदी केंद्र उबरा, बरही, बचैइया एवं सिहुंडी से प्राप्त कुल 4330 क्विंटल धान मिलिंग पश्चात् फरियादी को वापस करने की प्रवंचना कर बेईमानीपूर्वक फरियादी को उक्त धान देने के लिए उत्प्रेरित किया तथा उक्त धान प्राप्त कर उक्त धान में से 3130 क्विंटल धान फरियादी को वापस न करते हुए फरियादी के साथ छल कारित किया तथा तथा 3130 क्विंटल धान आप पर न्यस्त रहते हुए आपने 3130 क्विंटल धान का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि नागरिक आपूर्ति निगम कटनी में जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ मधुर खर्द ने आरक्षी केंद्र माधवनगर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि राईस मिल फर्म मेसर्स वरूण इण्डस्ट्रीज इमलिया कटनी की जॉंच क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर के नेतृत्व में जांच दल व्दारा की गई, जांच में यह पाया गया कि फर्म के व्दारा उपार्जन केन्द्रों से 4330 क्विटंल धान का उठाव किया गया, उक्त धान को मिलिंग गोदाम में संग्रहित करके रखना था किन्तु

भौतिक सत्यापन में मिल परिसर में 1400 क्विटंल चावल पाई गई, फर्म प्रोप्राईटर आरोपी गिरधारी लाल सेवलानी के द्वारा शासन निर्देशों के विपरीत धान 3130 क्विटंल राशि 60,72,200 (रूपये साठ लाख बहत्तर हजार दो सौ बीस मात्र) को अवैध लाभार्जन के उद्देश्य से उक्त धान को खर्द–बुर्द कर शासन को क्षति पहुँचाई गई है। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर के आधार पर राईस मिल फर्म मेसर्स वरूण इण्डस्ट्रीज इमलिया कटनी के प्रोप्राईटर गिरधारी लाल सेवलानी के विरुद्ध अपराध क्–85/2022 पर धारा–407 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका निर्मित किया गया, जिला प्रबंधक नागरिक निगम कटनी एवं आपूर्ति निगम के अन्य साक्षीगण के कथन लिये गये, समिति से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जप्ती की गई तथा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक निर्मित किया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा–407, 409 एवं 420 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप में अभियोग–पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से प्रकरण मान्नीय सत्र न्यायालय कटनी की ओर उपार्पित किया गया, मान्नीय सत्र न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण में इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा–409 एवं 420 भा. दं.वि. के अन्तर्गत आरोप–पत्र विरचित कर आरोप, आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी द्वारा उक्त आरोप को अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा गया, आरोपी का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया। आरोपी का धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर उसने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फसाया गया है।

4. ***<u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :–</u>***

1. क्या आरोपी ने पुलिस थाना–माधवनगर से 7 कि.मी. से दक्षिण मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज में वरूण इंडस्ट्रीज जोकि राईस मिल फर्म है, के प्रोपाईटर के रूप में मिलिंग हेतु म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के खरीदी केंद्र उबरा, बरही, बचैइया एवं सिहुंडी से प्राप्त कुल 4330 क्विंटल धान प्राप्त की और उपरोक्त धान आपके पास न्यस्त होते हुए उसमें से 3130 क्विंटल धान का बेईमानी से दुर्विनियोग किया ?

2. क्या आरोपी ने फरियादी से 4330 क्विंटल धान मिलिंग पश्चात् वापस लौटाने हेतु अनुबंधित होकर प्रवंचना करते हुए उक्त धान देने हेतु उत्प्रेरित कर 4330 क्विंटल धान प्राप्त कर उक्त धान में से 3130 क्विंटल धान मिलिंग पश्चात् वापस न करते हुए बेईमानीपूर्वक छल कारित किया ?

–: सकारण विवेचना सहित निष्कर्ष :–

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सतलेश कुमार राय (अ. सा–01), अजय प्रताप सिंह (अ.सा.–02), मधुर खर्द (अ.सा.–03), सुशील कुमार (अ. सा.–04), शेखर श्रीवास्तव (अ.सा.–05), सच्चानंद राजपालानी (अ.सा.–06), संजय सिंह (अ.सा.–07), हीराकुमार भोजवानी (अ.सा.–08), गंगाशरण दुबे (अ.सा.–09), रमाकांत मिश्रा (अ.सा.–10) रविप्रताप पटेल (अ.सा.–11), अनूपसिंह (अ.सा.–12), रमेश प्रसाद तिवारी (अ.सा.–13) एवं नवीन नामदेव (अ.सा.–14) का परीक्षण कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 एवं 02 पर निष्कर्ष :–

6. उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक ही घटना संव्यहार से संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. नवीन नामदेव (अ.सा–14) का कहना है कि दिनांक–16.03.22 को थाना माधवनगर में पदस्थ रहते हुए जिला प्रबंधक मधुर खर्द ने दिनांक–14.02.22 को लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि राईस मिल फर्म मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज माधवनगर कटनी के प्रोपराईटर गिरधारी लाल सेवलानी के विरूद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन जबलपुर की टीम ने विस्तृत जांच कर यह पाया था कि उपार्जन केंद्र से 4330 क्विंटल धान का उठाव किया गया था। उक्त धान मिलिंग गोदाम में संग्रहित करके रखना था, जांच के दौरान भौतिक सत्यापन करने पर मिलिंग गोदाम परिसर में 1400 क्विंटल धान का चावल पाया गया था तथा 3130 क्विंटल धान जिसका मूल्य 60,72,200/– रूपये था, कम पाया गया था। मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज माधवनगर कटनी के प्रोपराईटर गिरधारी लाल सेवलानी ने उक्त धान शासन को हानि पहुंचाने तथा स्वयं को अवैध लाभ के उदेदश्य से खर्द बुर्द कर दिया था। उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 के आधार पर

अभियुक्त गिरधारीलाल सेवालानी के विरूद्ध धारा–420, 409 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुपसिंह (अ.सा–12) ने भी उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि उक्त लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र–85/22 पंजीबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी–5 है।

8. मधुर खर्द (अ.सा–3) ने भी उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि वह दिनांक–14.02.22 को म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन लिमिटेट जिला कार्यालय कटनी में जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे, उन्होनें जांच दल का गठन किया था और मेसर्स वरूण इंडस्ट्रीज माधवनगर कटनी के प्रोपराईटर गिरधारी लाल सेवलानी के राईस मिल के जांच की थी, जांच के दौरान मिल गोदाम में 1400 क्विंटल चावल पाया गया था, 3130 क्विंटल धान कम पाया गया था, जिसकी कीमत 60,72,200/– रूपये था। इस संबंध में प्रदर्श पी–4 की लिखित शिकायत की थी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 दर्ज की गई है। संजय सिंह (अ.सा–7) ने भी उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि निरीक्षण के दौरान आरोपी की उपस्थिति में भण्डारित धान के मिल का निरीक्षण करने पर यह पाया था कि गोदाम में दो अलग–अलग स्थानों पर वर्ष 2021–22 में धान की बोरिया रखी हुई थी, जिनकी गिनती करने पर 3000 नग बोरी पाई गई थी तथा मिल परिसर में 1400 क्विंटल भण्डारित चावल की मात्रा भी पाई गई थी। पंचनामा प्रदर्श पी–7 में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्त की राईस मिल का सत्यापन करने पर 1400 क्विंटल भण्डारित चावल एवं 3000 बोरी धान पाया गया था, प्रत्येक बोरी में कितनी मात्रा में धान रखा पाया गया था, का कोई उल्लेख पंचनामा में नहीं किया गया है।

9. मधुर खर्द (अ.सा–3) के अनुसार जांच के दौरान प्रदर्श पी–7 एवं 11 का पंचनामा तैयार किया था तथा अभियुक्त के कथन प्रदर्श पी–8 भी लेख किये थे एवं शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जी.एस.टी. के संबंध में दिया था, जो प्रदर्श पी–9 है। कृषि विपणन बोर्ड का प्रमाण पत्र जो अभियुक्त को प्रदान किया गया था, वह प्रदर्श पी–10 है। दिनांक–08.02.22 को वरूण इंडस्ट्रीज को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–12 एवं प्रदर्श पी–13 है, धान डिलेवरी आर्डर प्रदर्श पी–14, अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–15 है, दिनांक–17.02.22 को पुलिस द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–16 तथा दिनांक–30.08.22 को दिया गया पत्र प्रदर्श पी–17 है। साक्षी के अनुसार माधवनगर पुलिस ने गवाह सतीश राय एवं छोटलाल के समक्ष मिलर द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त का पत्र एवं डी.ओ आर्डर ट्रक चालान नंबर पुलिस को जप्त कराया गया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 है। अनूपसिंह (अ.सा–12) ने भी उक्त साक्षी के कथन

का समर्थन करते हुए कहा है कि दिनांक–14.02.22 को मधुर खर्द द्वारा 1 लगायत 31 के दस्तावेज जिसमें एक पत्र मिलर द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में एवं प्रस्तावित 2 लगायत 31 तक डी.ओ. आर्डर ट्रक चालान नंबर गवाहों के समक्ष प्रस्तुत करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 तैयार किया था।

10. सतलेश कुमार राय (अ.सा–1) ने साक्ष्य के दौरान यह कहा है कि उसके समक्ष वरूण इंडस्ट्रीज माधवनगर के अधिकृत प्रतिनिधि से पुलिस ने दस्तावेज और धान डिलेवरी आर्डर एवं ट्रक चालान जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 के अवलोकन करने से यह दर्शित है कि साक्षी सतलेश राय के समक्ष पुलिस ने मधुर खर्द के माध्यम से मिलर प्रतिनिधि नियुक्त करने का पत्र एवं डिलेवरी आर्डर तथा ट्रक चालान से संबंधित दस्तावेज 2 लगायत 31 जप्त किये है। हीरा कुमार भोजवानी (अ.सा–8) ने इस तथ्य से इंकार किया है कि वर्ष 2021–22 में धान की मिलिंग के लिए वरूण इंडस्ट्रीज के प्रोपराईटर गिरधारी सेवलानी ने उसे मिलर प्रतिनिधि बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके समक्ष वर्ष 2021–22 में गिरधारी सेवलानी ने उपार्जन केंद्र उबरा, बरही, सिहुडी, बचैया से धान का उठाव किया था। अभियोजन ने मिलर प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र को प्रमाणित भी नहीं कराया है। इस तरह हीरा कुमार भोजवानी (अ.सा–8) की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि वरूण इंडस्ट्रीज ने हीरा कुमार भोजवानी को मिलर प्रतिनिधि नियुक्त किया था और उसके माध्यम से उपार्जन केंद्र से 4330 क्विंटल धान का उठाव किया गया था।

11. संजय सिंह (अ.सा–7) का कहना है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में उपार्जन केंद्रो पर उपार्जित धान आरोपी की फर्म वरूण इंडस्ट्रीज द्वारा 10 डिलेवरी चालान के माध्यम से धान उपार्जन केंद्र बचैया 4 डिलेवरी आर्डर, उबरा 2 डिलेवरी आर्डर, बरही 3 डिलेवरी आर्डर एवं सिहोडी 1 डिलेवरी आर्डर से धान से उठाई गई थी। उबरा से 866 क्विंटल, बरही से 1299 क्विंटल, बचैया से 1732 क्विंटल, सिहोडी से 433 क्विंटल कुल 4330 क्विंटल धान का उठाव किया गया था परंतु वर्ष 2021–22 में उक्त उपार्जन केंद्र में 3130 क्विंटल धान कम पाई गई थी, जिसकी जांच समिति में वह स्वयं क्षेत्रीय प्रबधंक एल.एल. अहिरवार, जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला, जिला प्रबंधक कटनी मधुर खर्द, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन जिला कटनी वाय.एस. सेंगर के द्वारा जांच की गई थी और 2110 क्विंटल धान कम पाई गई थी तथा प्रदर्श पी–6 का प्रतिवेदन तैयार किया था। प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था।

12. संजय सिंह (अ.सा–7) के अनुसार शेखरसिंह एवं अजय प्रताप के समक्ष वरूण इंडस्ट्रीज के द्वारा डिलेवरी आर्डर के विरूद्ध जमा किये गये 10 मूल प्रति में एफ.डी. एवं 10 मूल प्रति में चेक, जिसमें से 8 प्रति एफ.डी. स्टेट बैंक मुडवारा दो प्रति एफ.डी. आई.सी.आई.सी.आई बैंक बरगंवा, प्रत्येक एफ.डी. तीन लाख रूपये की तथा 10 प्रति आई.सी.आई.सी.आई बैंक बरगंवा के चेक, प्रत्येक सात लाख रूपये का है, इस प्रकार कुल चेक की राशि 70,00,000/– रूपये थी। उक्त चेक तथा एफ.डी. पुलिस ने जप्त कर प्रदर्श पी–3 तैयार किया था तथा दिनांक–30.03.22 को साक्षी रविप्रताप एवं अजय के समक्ष वरूण इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट कापी जिसमें इंडस्ट्रीज के मोबाईल एप में आरोपी मिलर द्वारा फीड की गई जानकारी दो पृष्ठो में थी, पुलिस को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 है। साक्षी के उक्त कथन का समर्थन शेखर श्रीवास्तव (अ.सा–5) एवं अजय प्रताप सिंह (अ.सा–2) ने भी किया है, उक्त दोनों ही साक्षीगण का कहना है कि उनके समक्ष पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 तैयार किया था तथा जिला प्रबंधक संजय सिंह से वरूण इंडस्ट्रीज द्वारा डिलेवरी आर्डर के विरूद्ध जमा किये गये 10 चेक एवं 10 एफ.डी. की जप्ती पुलिस ने की थी।

13. प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 के आधार पर यह दर्शित है कि दस्तावेज प्रदर्श पी–27 के पत्र में संलग्न अनुसार मोबाईल एप की दो पृष्ठों में जानकारी प्रदर्श पी–28 जप्त किया गया था, जिसका अवलोकन करने से दर्शित है कि 10 लॉट में वरूण इंडस्ट्रीज ने धान का उठाव किया है परंतु किस तारीख को कितना धान का उठाव किया गया है यह तथ्य उक्त दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मधुर खर्द (अ.सा–3) ने साक्ष्य की कण्डिका–17 में यह कथन दिया है कि वरूण इंडस्ट्रीज राईल मिल परिसर में भौतिक सत्यापन के समय 4330 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए था परंतु जांच के दौरान उक्त मिल परिसर में मात्र 1400 क्विंटल की चावल उपलब्ध पाई गई थी अर्थात 3130 क्विंटल धान कम पाई गई थी। एक उठाव में 433 क्विंटल होता है, पांच उठाव में कुल 2165 क्विंटल होता है, पांच मूल दस्तावेज के अनुसार 965 क्विंटल धान कम पाया गया था, 965 क्विंटल धान कम पाये जाने के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया गया था, 10 उठाव का पंचनामा तैयार किया गया था।

14. नवीन नामदेव (अ.सा–14) के अनुसार विवेचना के दौरान दिनांक–25.07.22 को आरोपी को गिरफतार किया था तथा इसी दिनांक को अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन साक्षीगण के समक्ष उसके बताये अनुसार लेख किये थे, जो प्रदर्श पी–18 है, तथा मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जिला प्रबंधक नगर आपूर्ति निगम

कटनी को प्रदर्श पी–17 का पत्र दिनांक–30.08.22 को लेख किया था। मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–11 का अवलोकन करने से यह दर्शित है कि उक्त दस्तावेज साक्षी सुशील असरानी तथा सच्चानंद के समक्ष तैयार किया गया था। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने दस्तावेज प्रदर्श पी–18 लगायत 20 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–18 के अवलोकन करने से यह दर्शित है कि अभियुक्त के मेमोरण्डम कथन के आधार पर प्रदर्श पी–17 का पत्र लेख किया गया है कि जिसमें जिला प्रबंधक नगर आपूर्ति निगम कटनी से यह जानकारी चाही गई है कि अभियुक्त ने मेमोरेण्डम कथन में यह लेख कराया है कि उसके मिल में 3130 क्विंटल धान कम पाई गई थी, परंतु 15–20 दिन बाद कर्मचारी द्वारा बची हुई धान का उठाव कर लिया गया था, इस प्रकार पूरे धान का उठाव करना बताया गया है, जिसकी सूचना नान कार्यालय को भी सूचित किया गया है। उक्त पत्र का जवाब जिला प्रबंधक कटनी द्वारा दिया गया था, ऐसा मधुर खर्द (अ.सा–3), नवीन नामदेव (अ.सा–14) की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज प्रदर्श पी–28 में 10 लॉट धान के उठाव के संबंध में दिनांक अंकित किया जाना आवश्यक था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिनांक–14.02.2022 तक वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल के प्रोपराईटर अभियुक्त गिरधानी सेवलानी ने स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कुल कितनी धान का उठाव किया था।

15. रमाकांत मिश्रा (अ.सा–10) का कहना है कि अपराध क्र–85/20 में दिनांक–16.03.22 को साक्षी रमेश प्रसाद तिवारी एवं संतोष निगम के समक्ष परिवहन एवं स्वीकृति की विस्तृत रिपोर्ट जिसमें कुल 8 पृष्ठ एवं दिनांक–06.12.21 से 14.12.21 तक की धान खरीदी का विवरण पेज क्र–1 से 20 पुलिस ने जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–22 है। प्रदर्श डी–3 का रिलीज आर्डर उपार्जन केंद्र वर्ष 2021–22 पुलिस ने जप्त किया था, उक्त जप्ती के अनुसार आर्टिकल ए–1 लगायत ए–4 है, किसानों के नाम की सूची परिशिष्ट ए, परिवहन चालान आर्टिकल ए–5 लगायत ए–10 है, डी.ओ. दिनांक–27.01.22 उर्पाजन केंद्र बरही वर्ष 2021–22 का दस्तावेज प्रदर्श डी–4 एवं आर्टिकल ए–11 लगायत आर्टिकल ए–14 है, डी.ओ. दिनांक–27.01.22 उपार्जन केंद्र बरही वर्ष 2021–22 का दस्तावेज प्रदर्श डी–5 एवं आर्टिकल ए–15 लगायत आर्टिकल ए–19 है, जिसे पुलिस ने उससे जप्त किया था। रमेश प्रसाद तिवारी (अ.सा–13) ने भी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–22 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए कथन दिया है कि पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–22 में वर्णित दस्तावेज रमाकांत मिश्रा से जप्त किये थे।

16. मधुर खर्द (अ.सा–3) जो कि प्रकरण में फरियादी है, को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन से कोई मिलर धान उठाना चाहता है तो मिलर एवं कार्पोरेशन के मध्य एग्रीमेंट होता है, मिलर तथा कार्पोरेशन के मध्य दिनांक–20.01.22 को एग्रीमेंट हुआ था। उक्त साक्षी ने कण्डिका–7 में यह कथन दिया है कि अनुबंध के उपरांत धान देने के पूर्व मिलर से चेक व डी.डी. बैंक गारेंटर बतौर सिक्योरिटी ली जाती है, इसके पश्चात् ही मिलर को भिन्न–भिन्न स्थानों से माल उठाने का आर्डर करते है। प्रकरण में अभियोजन ने म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन की ओर से फरियादी मधुर खर्द तथा मिलर वरूण इंडस्ट्रीज के प्रोपराईटर अभियुक्त गिरधारीलाल सेवलानी के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–15 प्रस्तुत किया गया है, जिसका पृष्ठ क्रमांक–1 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त दस्तावेज के अनुसार म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वरूण इंडस्ट्रीज के मध्य खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध पत्र दिनांक–20.01.22 को निष्पादित किया गया था।

17. मधुर खर्द (अ.सा–3), संजय सिंह (अ.सा–7) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित होने के पश्चात् अनुबंध पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार कार्पोरेशन के समक्ष तीन–तीन लाख की दस एफ.डी. तथा सात–सात लाख के दस चेक कुल एक करोड रूपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराये थे, जो कि प्रकरण में प्रदर्श पी–29 लगायत प्रदर्श पी–48 है, जिसके अनुसार यह प्रमाणित है कि अनुबंध पत्र के पालन में वरूण इंडस्ट्रीज के प्रोपराईटर ने एक करोड की सिक्योरिटी जमा की थी। मधुर खर्द (अ.सा–3) के अनुसार प्रथम, द्वितीय लॉट का आबंटन आदेश दिनांक–21.01.22, जिसकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है, जो प्रदर्श डी–2 है तथा तृतीय लाट का आबंटन आदेश दिनांक–27.01.22 की मूल प्रति प्रदर्श डी–3 लगायत प्रदर्श डी–5 है। दस्तावेज प्रदर्श डी–2 सी का अवलोकन करने से यह दर्शित है कि म.प्र. स्टेट सिविल स्पालाई कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक अधिकारी कटनी ने वरूण इंडस्ट्रीज को मिलिंग हेतु निष्पादित अनुबंध क्र–42214211222100 दिनांक–21.01.22 के अनुसार अनुबंधित धान की मात्रा 4330 क्विंटल कामन धान तथा ग्रेड ए धान के तहत 433 क्विंटल धान कामन उठाव के लिए आदेश पारित किया गया था, तत्पश्चात् 3031 क्विंटल धान के संबंध में डिलेवरी आदेश जारी किया जाना शेष था। इसी तरह दस्तावेज प्रदर्श डी–5 के अनुसार वरूण इंडस्ट्रीज को दिनांक–27.01.22 को 4330 क्विंटल धान कामन में से 433 क्विंटल कामन धान मिलिंग हेतु डिलेवरी आदेश

दिया गया था तथा 1732 क्विंटल कामन धान के संबंध में आदेश जारी किया जाना शेष था। दस्तावेज प्रदर्श डी–3 के अनुसार 4330 क्विंटल कामन धान में से 433 क्विंटल कामन धान मिलिंग हेतु दिनांक–27.01.22 को ही आदेश जारी किया गया था, उक्त आदेश के अनुसार 1299 क्विंटल कामन धान के संबंध में आदेश जारी होना शेष था। दस्तावेज प्रदर्श डी–4 के अनुसार दिनांक–27.01.22 को ही 4330 क्विंटल कामन धान में 433 क्विंटल कामन धान के डिलेवरी हेतु आदेश दिया गया था तथा 866 क्विंटल कामन धान के संबंध में डिलेवरी आदेश होना शेष था। 866 क्विंटल कामन धान का डिलेवरी आदेश पारित हुआ था अथवा नहीं के संबंध में फरियादी द्वारा साक्ष्य के दौरान कोई स्पष्ट कथन नहीं दिया गया है न ही जांच प्रतिवेदन में कोई उल्लेख किया गया है।

18. मधुर खर्द (अ.सा–3) ने साक्ष्य की कण्डिका–17 में यह कथन दिया है कि वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल परिसर में भौतिक सत्यापन के समय 4330 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए थी परंतु 3130 क्विंटल धान कम पाई गई है। एक उठाव में 433 क्विंटल होता है, पांच उठाव में कुल 2165 क्विंटल होता है। पांच मूल दस्तावेजों के अनुसार 965 क्विंटल धान कम पाई गई थी, जिसके संबंध में पंचनामा तैयार नहीं किया गया था बल्कि 10 उठाव का पंचनामा तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति में जब दस्तावेज प्रदर्श डी–2 लगायत 5 के अनुसार 866 क्विंटल कामन धान के संबंध में डिलेवरी आदेश हुआ था या नहीं के संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से कोई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा दिनांक–14.02.22 को जब वरूण इंडस्ट्रीज राईल मिल परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया था तब मूल दस्तावेजों के अनुसार 965 क्विंटल धान कम पाई गई थी। ऐसी स्थिति में यह तथ्य संदेहास्पद है कि फरियादी मधुर खर्द (अ.सा–3) जो कि दस्तावेज प्रदर्श पी–15 के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए निष्पादित अनुबंध पत्र में म.प्र. स्टेट स्पलाई लिमिटेड कार्पोरेशन की ओर से अभियुक्त वरूण इंडस्ट्रीज के प्रोपराईटर गिरधानी सेवलानी के पक्ष में अनुबंध पत्र दिनांक–20.01.22 निष्पादित किया गया था, में उक्त अनुबंध पत्र के अनुसार वरूण इंडस्ट्रीज मिलर को कुल 4330 क्विंटल धान डिलेवरी का आदेश दिया गया था तथा कुल 4330 क्विंटल धान का उठाव किया गया था। यह तथ्य उक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर संदेहास्पद है।

19. अनूपसिंह (अ.सा–12) ने भी साक्ष्य की कण्डिका–5 में यह कथन दिया है कि धान डिलेवरी दिनांक–27.01.22 उपार्जन वर्ष 2021–22 धान मिलिंग हेतु प्राप्त आदेश प्रदर्श पी–24, धान डिलेवरी आर्डर दिनांक–21.02.22 उपार्जन वर्ष

2021—22 प्रदर्श पी—25 है। उक्त दोनों ही दस्तावेज का अवलोकन करने से यह दर्शित है कि उक्त दस्तावेज के अनुसार म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई सिविल कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक ने सियाराम इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के साथ मिलिंग निष्पादित अनुबंध क्र—42214210222100 दिनांक—27.01.22 के अनुसार अनुबंधित धान 4330 क्विंटल अरबा मिलिंग हेतु धान डिलेवरी आदेश जारी किया था, इसी तरह दस्तावेज प्रदर्श पी—25 का अवलोकन करने से यह दर्शित है कि उक्त धान डिलेवरी आदेश भी सियाराम इंडस्ट्रीज के लिए जिला प्रबंधक कटनी द्वारा दिया गया है। इस तरह उक्त दोनों ही दस्तावेज वरूण इंडस्ट्रीज से संबंधित नहीं है।

20. मधुर खर्द (अ.सा—3) की साक्ष्य तथा दस्तावेज प्रदर्श पी—14 के अनुसार जिला प्रबंधक कटनी ने वरूण इंडस्ट्रीज को 433 डी.ओ. मिलिंग धान डिलेवरी आर्डर वर्ष 2021—22 के संबंध में दिया है। संजय सिंह (अ.सा—7) के अनुसार उबरा से 866 क्विंटल, बरही से 1299 क्विंटल, बचैया 1332 क्विंटल, सिहोडी से 433 क्विंटल कुल 4330 क्विंटल धान का उठाव किया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान कण्डिका—9 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दस्तावेज आर्टिकल ए—1 लगायत ए—15, आर्टिकल ए—17 लगायत ए—19 में डी.ओ. नंबर (डिलेवरी आर्डर नंबर) का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने कण्डिका—10 में यह भी स्वीकार दस्तावेज आर्टिकल ए—1 लगायत ए—15, आर्टिकल ए—17 लगायत ए—19 में ट्रक कमांक, परिवहनकर्ता, ड्राईवर, भरी गाडी का वजन, खाली गाडी का वजन का कालम रिक्त है, उनमें कुछ भी लेख नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि आर्टिकल ए—1, आर्टिकल ए—3, आर्टिकल ए—4 के ए से ए भाग पर किसके हस्ताक्षर है। दस्तावेज आर्टिकल ए—3 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त दस्तावेज में हस्तलिपि में ट्रक क्र—यू. पी—61पी—1549 का उल्लेख है परंतु भण्डारण केंद्र ड्राईवर का नाम परिवहनकर्ता तथा खाली गाडी का वजन एवं भरी गाडी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही गोदाम पर स्कंध प्राप्ति की पावती ली गई है।

21. गंगा शरण दुबे (अ.सा—9) का कहना है कि वह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, अभियुक्त को जानता है, उसके पास 7—8 गाडियां है, ट्रक कमांक—एम.पी. 20 एच.बी—4409 व एम.पी—20एच.बी—4509 उसके नाम से ट्रक है तथा एक सप्ताह पूर्व उसने अपने पुत्र शुभम के नाम से ट्रक क्र—यू.पी—61टी—1549 क्रय की थी, उसकी सभी गाडियां 50 किलोमीटर की दूरी पर चलती है। साक्षी के अनुसार धान खरीदी केंद्र उबरा, बरही, नन्हरवारा, अमेहटा से किसी भी प्रकार के धान का

परिवहन ट्रक क्र–एम.पी–20एच.बी–4509 एवं ट्रक क्र–यू.पी–61टी–1549 से नहीं किया गया है। इस तरह उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी यह पुष्टि नहीं होती है कि आर्टिकल ए–3 में उल्लेखित वाहन ट्रक क्र–यू.पी–61टी–1649 से दिनांक–27.01.22 को आर्टिकल ए–4 में वर्णित धान का उपार्जन केंद्र बरही से भण्डारण केंद्र वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल में किया गया था।

22. दस्तावेज आर्टिकल ए–1 तथा आर्टिकल ए–2 में हस्तलिपि में वाहन क्र–एम.पी–17एच.एच–047 लेख किया गया है, उक्त दस्तावेज में भी वाहन ड्राईवर का नाम, परिवहनकर्ता का नाम, भरी गाडी का वजन तथा खाली गाडी का वजन लेख नहीं किया गया है, उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर परिवहनकर्ता के प्रतिनिध का हस्ताक्षर होना दर्शित है। संजय सिंह (अ.सा–7) ने साक्ष्य की कण्डिका–10 में इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि आर्टिकल ए–1 तथा आर्टिकल ए–3 में ए से ए भाग पर किसके हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के अनुसार जब उपार्जनकर्ता केंद्र से भण्डारण केंद्र में धान का परिवहन किया गया जा रहा था तब परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में कौन व्यक्ति उपस्थित था तथा किसने उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे, यह तथ्य भी अभियोजन न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है।

23. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति 2021–22 नीति 7.1 में यह लेख किया गया है कि धान को भण्डारण केंद्र से मिल तक ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था तथा मिल से चावल जमा करने तक की परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी मिलर की होगी। राज्य शासन को यह अधिकार होगें कि वह जिले विशेष अथवा सभी जिलों के लिए टेंडर प्रक्रिया कर इस कार्य के लिए पृथक से परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकता है, जिसे मिलर के द्वारा मान्य किया जाना होगा। आर्टिकल ए–1 में ट्रक क्र–एम.पी–17एच.एच–0547 आर्टिकल ए–8 में ट्रक क्र–यू.पी.–61टी–1549 आर्टिकल ए–11 में टक क्र–एम.पी.–19एच.ए–0434, आर्टिकल ए–14 टक क्र–एम.पी–21एच–1317, आर्टिकल ए–15 टक क्र–एम.पी–20एच.बी–0136, आर्टिकल ए–18 टक क्र–आर.जे–0767 का उल्लेख किया गया है। धान के परिवहन हेतु उक्त ट्रक की व्यवस्था वरूण इंडस्ट्रीज के प्रोपराईटर अथवा उसके प्रतिनिधि की ओर से की गई थी अथवा शासन की ओर से की गई थी, इस संबंध में भी कोई स्पष्ट अभिवचन फरियादी द्वारा नहीं किया गया है। आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–19 के माध्यम से उपार्जन केंद्र से भण्डारण केंद्र अर्थात् वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल में उक्त वाहन के माध्यम से 4330 क्विंटल धान का परिवहन

किया गया था, यह तथ्य भी उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि दस्तावेज आर्टिकल ए–1, आर्टिकल ए–3, आर्टिकल ए–5, आर्टिकल ए–6, आर्टिकल ए–7, आर्टिकल ए–8, आर्टिकल ए–9, आर्टिकल ए–10, आर्टिकल ए–11, आर्टिकल ए–14, आर्टिकल ए–15, आर्टिकल ए–18 में गोदाम पर स्कंध प्राप्ति की पावती भी नहीं ली गई है न ही उक्त दस्तावेज पर प्रदाय केंद्र गोदाम प्रभारी समिति के प्रतिनिधि तथा ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर है।

24. इस तरह उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर यह तथ्य संदेहास्पद है कि फरियादी जो कि म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाई कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अनुबंध पत्र दिनांक–20.01.2022 निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया था तथा उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित होने के पश्चात् मिलर वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल के प्रोपराईटर अभियुक्त गिरधारी सेवलानी को धान खरीदी केंद्र उबरा, बरही, बचैया और सिहुडी से कुल 4330 क्विंटल धान मिलिंग हेतु प्रदान कर न्यस्त किया गया था तथा यह तथ्य भी संदेहास्पद है कि दिनांक–14.02.2022 को वरूण इंडस्ट्रीज राईस मिल परिसर का निरीक्षण करने पर 3130 क्विंटल धान कम पाई गई थी और अभियुक्त ने 3130 क्विंटल धान का बेईमानीपूर्वक दुविर्नियोग किया गया था तथा शासन को 60,72,200/– रूपये की हानि पहुंचाने के आशय से 3130 क्विंटल धान मिलिंग पश्चात् वापस न करते हुए बेईमानी एवं कपटपूर्वक छल कारित किया गया था।

25. अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा–409 एवं 420 भा.दं.सं. के अपराध के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा–409 एवं 420 भा.दं.सं. के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

26. अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा–428 दं.प्र.सं. अंतर्गत निरोध प्रमाण पत्र निर्मित किया जाये।

27. प्रकरण में जप्तशुदा 10 मूल प्रति में एफ.डी. एवं 10 मूल प्रति में चेक को फरियादी/संस्था नागरिक आपूर्ति निगम कटनी के जिला प्रबंधक को बाद अपील अवधि पश्चात् लौटाई जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति का निराकरण किया जाये।

28. निर्णय की प्रति धारा–365 द.प्र.सं. के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट कटनी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि प्रकरण में मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित है कि मधुर खर्द जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम कटनी बालेन्द्र शुक्ला जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी, वाय.एस. सेंगर जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग एवं लॉजलिस्टक अधिकारी कटनी द्वारा उपार्जन केंद्र से भण्डारण केंद्र से परिवहन किये गये अनाज जारी विवरण में पर्याप्त जानकारी का इंद्राज नहीं किये जाने एवं उचित रूप से धान उठाव का विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है तथा शासन को 60,72,200 रूपये की हानि हुई है, जिसकी पूर्ति हेतु उक्त पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी, जिनके द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वाहन में उपेक्षा एवं लापरवाही की गई है, के संबंध में जांच कर विधिअनुसार कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।
सही / –
(श्रीमती सुशीला वर्मा)
नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी
जिला–कटनी (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
सही / –
(श्रीमती सुशीला वर्मा)
नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी
जिला–कटनी (म.प्र.)

स्थान :– कटनी,
दिनांक :– 31.07.2025.

SUSHILA VERMA

Digitally signed by SUSHILA VERMA
Date: 2025.07.31 17:26:37 +0530